# FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट )
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0149 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/07/2024 19:48 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |
| 2 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7A |
| 3 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 12 |
| 4 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 61(2) |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 16/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 22/07/2024
   **Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 17:30 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/07/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/07/2024 19:48:22 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 65 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** POLICE THANA SARMATHURA

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   **Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** AMAR SINGH MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** PANNA LAL MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1993 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | KHOKHLA, SARMATHURA, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | KHOKHLA, SARMATHURA, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDAR SINGH | | पिता:DEVI RAM | 1. GIRSE,डीग,RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | BIRWAL | | पिता:Na Malum | 1. CHINGAPURA,SARMATHURA,DHOLPUR,RAJASTHAN,INDIA |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 8,000.00 |



[redacted]

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ): 8,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
| --- | --- |

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,धौलपुर विषय- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने हेतु महोदय, उपरोक्त विषय अन्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी अमर सिह मीणा की बहिन श्रीमति ममता के विरूद्ध थाना सरमथुरा पर मु.न. 176/24 है जिसमें आई.ओ. केदार सिंह हैड कानि. है जो मेरी बहिन को मुकदमें में गिरफ्तार व परेशान नही करने व परिजनों के नाम मुकदमें से निकालने व मदद करने की एवज में बीरवल (संरपंच प्रत्याशी) निवासी छिग्गापुरा के मार्फत 10,000 ((दस हजार) रूपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान कर रहा है प्रार्थी यह रिश्वत राशि देना नही चाहता है बल्कि रिश्वत राशि लेते हुए केदार सिंह हैड़ कानि. व बीरवल को रंगे हाथों पकडवाना चाहंता हूं मेरी केदार हैड़ कानि. व बीरवल से न तो कोई पुरानी दुश्मनी है और ना ही कोई लेन देन है प्रार्थी एसडी अमर सिंह मीणा पुत्र श्री पन्नालाल निवासी खोखला (सरमथुरा) धौलपुर मो दिनांक 16.07.24 एसडी सिरमोहर एसडी इन्द्रजीत सिंह हैड़ कानि. 71 दिनांक 16.07.2024 एसडी सुरेन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस 16.07.24 एसडी पिन्टू सिंह पटवारी दिनांक 21.07.24 एसडी विरेन्द्र कुमार पटवारी दिनांक 21.07.24 जीतेन्द्र कुमार यूडीसी दिनांक 22.07.2024 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 16.07.24 को वक्त 10.00 ए.एम. पर परिवादी श्री अमरसिंह पुत्र श्री पन्नालाल जाति मीणा उम्र 31 साल निवासी खोखला थाना सरमथुरा जिला धोलपुर मय सहपरिवादी श्रीमति ममता पत्नि श्री सिरमोहर जाति मीणा निवासी खोखला थाना सरमथुरा जिला धौलपुर एवं श्री सिरमोहर मीणा पूर्व से तय शुद्दा स्थान कस्वा सरमथुरा के पास उपस्थित मिले जहां श्री अमरसिंह मीणा ने एक लिखित रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति सहित श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर के नाम संबोधित की हुई मन इन्द्रजीत सिंह हैड कानि. 71 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर को पेष की परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत परिवादी श्री अमरसिंह से पूछताछ की गई तो परिवादी श्री अमरसिंह ने रिपोर्ट स्वयं के द्वारा लिखी हुई होना बताया व अंकित तथ्य सही होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं व सहपरिवादी सिरमोहर के हस्ताक्षर होना बताया परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि श्री केदार सिंह हैड कानि. पुलिस थाना सरमथुरा मेरी बहिन श्रीमति ममता व उसके परिजनो के खिलाफ दर्ज मुकदमा नं. 176/24 मे मदद करने एवं आरोपियों के नाम मुकदमें में से निकालने की एवज में 10,000 रूपये की रिश्वत मांग रहा है प्रार्थी रिश्वत नही देना चाहता है एवं उक्त हैड़ कानि. को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता है। परिवादी ने उक्त हैड़ कानि. से कोई पुराना लेन-देन अथवा कोई रिंजश नहीं होना बताया है। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं की गई दरियाफ्त आदि से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत की मांग का है मन् चौकी इन्चार्ज श्री सुरेन्द्र सिंह पुलिस उप अधीक्षक राजकार्य से जयपुर गया होने के कारण उपरोक्त लिखित रिपोर्ट बाबत जरिये दूरभाष अवगत कराया जिस पर मेरे द्वारा लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर नियमानुसार विभागीय वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी के हमराह इन्द्रजीत सिंह हैड कानि.71 को आरोपी के पास जाकर रिश्वत राशि की मांग का गोपनीय सत्यापन कराकर सत्यापन कार्यवाही से अवगत कराये जाने के निर्देष दिये गये जिसका मेरे निर्देशानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया जिसकी फर्द प्राप्ति डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पूर्व से जिसे बाद अवलोकन शामिल रंनिग नोट की गई। परिवादी श्री अमरसिंह व श्री सहपरिवादी श्रीमति ममता व श्री सिरमोहर को वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। दिनांकः-16.7.24/6.15 पीएम. पर मन पुलिस उप अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह उपस्थित एसीबी कार्यालय धौलपुर आने पर श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 द्वारा परिवादी श्री अमरसिंह मीणा की लिखित रिपोर्ट तथा उसके साथ पेष कार्यवाही पुलिस, फर्दात तथा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को हमराह परिवादी अमरसिंह मीणा के अग्रिम कार्यवाही हेतु मुझे सुपुर्द किये गये। जिस पर मैने परिवादी अमरसिंह मीणा की लिखित रिपोर्ट एवं अन्य कागजात फर्दात आदि का अवलोकन किया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो परिवादी अमरसिंह मीणा ने पूर्व में दर्ज कराये गये हालातो की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी श्री केदार सिंह हैड कानि. पुलिस थाना सरमथुरा मेरी बहिन श्रीमति ममता व उसके परिजनो के खिलाफ दर्ज मुकदमे मे मदद करने एवं आरोपियों के नाम मुकदमें में से निकालने की एवज में 10000 रूपये की रिश्वत मांग रहा है प्रार्थी रिश्वत नही देना चाहता है एवं उक्त कार्मिक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता है। परिवादी ने उक्त हैड़ कानि. से कोई पुराना लेन-देन अथवा कोई रजिष नहीं होना बताया था। केदारसिह हैड कानि. को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकड़वाने के लिए मैने आपके अधीनस्थ कार्यरत श्री इन्द्रजीत हैड कानि.



[redacted]

को पूर्व से तय शुदा स्थान कस्वा सरमथुरा के पास शिकायत दी थी व जिस पर मुझे एसीबी धौलपुर के हैड कानि. श्री इन्द्रजीत के साथ आरोपी श्री केदार हैड कानि. पुलिस थाना सरमथुरा जिला धौलपुर के पास भेजकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन कराया था। मेरी बात आरोपी श्री केदार हैड कानि. पुलिस थाना सरमथुरा जिला धौलपुर से से हुई तो उन्होने श्री बीरबल सरपच प्रत्याशी ग्राम छिग्गापुरा .से मिलने की बात कही इस पर मैं व मेरी बहिन ममता व सिरमोहर उनके पास मिलने के लिये गये जाने से पूर्व श्री इन्द्रजीत हैड साहब ने दुबारा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर चालू करके सिरमोहर को दे दिया था मै व मेरी बहिन ममता भी साथ ही थे हम श्री बीरबल के घर ग्राम छिग्गापुरा पहुंचा जहां कुछ समय पश्चात श्री केदार सिंह हैड साहब भी आ गये वहां पर हमारी वार्ता श्री केदार हैड साहब व श्री बीरबल से हुई थी। श्री केदार सिंह हैड साहब ने श्री बीरबल के मार्फत मुझसे 10000 रूपये मांगे मेरे निवेदन करने के पश्चात वह 8000 रूपये लेने पर सहमत हो गये मेरी बहिन व मेरा रिश्तेदार सिरमोहर पारिवारिक कारणों से यहां आने में असमर्थ है उन्होने मुझे कार्यवाही के लिये अधिकृत किया हुआ है ममता मेरी बहिन है उनके सभी केसों में मैं ही पैरवी कर रहा हूं इसके बाद विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सरसरी तौर से लैपटॉप कम्प्यूटर की मदद से चालू कर सुना गया तो परिवादी के कथनों मुताबिक वार्ता रिकार्ड होना पाई गई व वार्ता में परिवादी के कथनो की पुष्टि होना पाया गया जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार की गई । दिनांक 17.07.24/11.00 ए.एम. पर डिजिटल वाईस रिकार्डर को लैपटॉप कम्प्यूटर में कनेक्ट किया जाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को विभागीय लैपटॉप कम्प्यूटर के टेबिल स्पीकर से कनेक्ट किया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी व गवाहान श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 व श्री योगेश कानि. 88 की उपस्थिति में टेबिल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ-पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई तथा उक्त वार्ता की मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय हेतु व तीन डीबीडीयां क्रमशः दो मुलजिम प्रति एवं एक आईओ प्रति तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड व दो मुलजिम डीबीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त कर कब्जा एसीबी लिया जाकर मौमोरी कार्ड को मार्क M व डीवीडी को उन पर मार्क A अंकित किया रिकॉर्ड वार्ता की हैज वैल्यु निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई । श्री श्रीकान्त हैड़ कानि. 72 मुख्य आरक्षक मालखाना प्रभारी के सुपुर्द कर जमा मालखाना किये जाने हेतु हिदायत की गई तथा आईओ प्रति डीवीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनषील्ड फाईल पर रखा गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं अन्य कागजातों एवं रिश्वत मांग सत्यापन तैयार फर्द ट्रासक्रिप्ट से श्री केदार हैड कानि. पुलिस थाना सरमथुरा जिला धौलपुर श्री बीरबल सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) के मार्फत परिवादी श्री अमर सिंह मीणा की बहिन श्रीमति ममता व उसके परिजनो के खिलाफ दर्ज मुकदमे मे मदद करने एवं आरोपियों के नाम मुकदमें में से निकालने की एवज में 8000 रूपये की रिश्वत मांग करना धारा 7,7 ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दण्डनीय अपराध होने से नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। दिनांक 21.07.2024/09.30 ए.एम.-पर ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह तलबी बाबत तहसीलदार/उप पंजीयक तहसील धौलपुर जिला धौलपुर के नाम तहरीर जारी कर जरिये व्हाट्सअप पर भेजा गया एवं फोन वार्ता कर स्वतंत्र गवाह हेतु अवगत कराया गया राजकीय अवकाश होने के कारण प्रार्थना-पत्र को कार्यालय खुलने पर भिजवाया गया। परिवादी श्री अमरसिंह मीणा उपस्थित एसीबी कार्यालय धौलपुर आया जिसने बताया कि मैने रिश्वत में दी जाने वाली राषि 8,000/- रूपये का इन्तजाम कर लिया है जो अभी मेरे पास है। अतः परिवादी को हिदायत कर कार्यालय में ही बिठाया गया। कार्यालय तहसीलदार/उप पंजीयक तहसील धौलपुर जिला धौलपुर से दो गवाह उपस्थित कार्यालय आये। दोनो गवाहान से उनके नाम पते पूछे तो उन्होने क्रमशः अपने नाम श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मुरारीलाल जाति ब्राह्मण उम्र 47 साल निवासी प्लाट नं. ए-4 मूर्ति नगर मीनावाला सिरसी रोड जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का बसई सामन्ता तहसील धौलपुर एवं श्री पिन्टू सिंह पुत्र मोहनसिंह जाति जाटव उम्र 31 साल निवासी भागीरथपुरा तहसील धौलपुर हाल आरपीजी पटवारी तहसील धौलपुर होना बताये, जिनसे गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने बाबत सहमति चाही तो उक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने अपनी सहमति दी, तत्पश्चात दोनो गवाहो का उपस्थित परिवादी अमरसिंह मीणा को बुलाकर आपस में एक दूसरे से परिचय करवाया गया तथा दोनो गवाहों को परिवादी अमरसिंह मीणा द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांक 16.07.2024 एवं अन्य कागजातों को दिखाया जाकर पढवाया गया तथा परिवादी से वार्ता कराई गई तथा परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर दोनो गवाहों के हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित करवाये गये। इसके बाद समय 12.30 पी.एम .-पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री विरेन्द्र कुमार पटवारी एवं श्री पिन्टू सिंह पटवारी सामने परिवादी श्री अमरसिंह पुत्र श्री पन्नालाल जाति मीणा उम्र 31 साल निवासी खोखला थाना सरमथुरा जिला धौलपुर ने आरोपीगण को दी जाने वाली रिष्वती राषि 500-500 रूपये के 16 ( सोलह ) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 8,000/-( आठ हजार) रूपये अपने पास से निकालकर मन पुलिस उप अधीक्षक को पेष किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:- क्रमसंख्या नोटो का विवरण नोटो के नम्बर 1 एकनोट 500 रूपये का 6 DV 189942 2 एकनोट 500 रूपये का 9 QR 597205 3 एकनोट 500 रूपये का 8 MT 122403 4 एकनोट 500 रूपये का 1 UG 239880 5 एकनोट 500 रूपये का 7 GM 666479 6 एकनोट 500 रूपये का 2 CL 670563 7 एकनोट 500 रूपये का

7 FS 950317 8 एकनोट 500 रूपये का 1 UG 239877 9 एकनोट 500 रूपये का 1 AR 050794 10 एकनोट 500 रूपये का 5 CS 325455 11 एकनोट 500 रूपये का 5 CF 200969 12 एकनोट 500 रूपये का 4 KW 346604 13 एकनोट 500 रूपये का 1 KD 893743 14 एकनोट 500 रूपये का 5 MH 406867 15 एकनोट 500 रूपये का 7 MG 533236 16 एकनोट 500 रूपये का 0 PN 998774 उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो स्वतन्त्र गवाहान ने नोटों के नम्बरों का मिलान सहीं होना बताया। तत्पश्चात श्री मनोज कुमार कानि. नं. 179 से मालखाना में सुरक्षित रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त 8,000/-( आठ हजार रूपये ) के नोटों पर श्री मनोज कुमार कानि. से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया। परिवादी श्री अमरसिंह मीणा की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री पिन्टू सिंह पटवारी से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 8,000/-रूपये के नोटों को श्री मनोज कुमार कानि. से सीधे ही परिवादी द्वारा पहने हुए पेन्ट के दाहिनी तरफ की साईड की जेब में रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राषि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। इसके बाद गवाह श्री पिन्टू सिंह पटवारी से प्लास्टिक ग्लास (डिस्पोजल गिलास) गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री मनोज कुमार कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी अमरसिंह मीणा को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को कमरे के बाथरूम में डलवाकर बहाया गया व काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीषी को बंद ढक्कन कराकर श्री मनोज कुमार कानि. के पास सुरक्षित रखवाया गया। श्री मनोज कुमार कानि. के दोनों हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। गिलास को नष्ट किया गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन पुलिस उप अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर को वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत की गई। समस्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल फाईल की गई कि रिश्वत लेनेदेन से पूर्व डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुरक्षित रखें। तत्पश्चात् स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अमरसिंह मीणा के मोबाईल से बीरबल (सरपंच प्रत्याशी) के मोबाईल पर कॉल करवाया तो बीरबल (सरपंच प्रत्याशी प्राईवेट व्यक्ति) ने बताया कि केदार सिंह हैड कानि. गोबर्धन की परिक्रमा करने के लिये गये हैं आज थाना सरमथुरा पर नही हैं ऐसी सूरत में आज अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव नही होने के कारण परिवादी द्वारा पेश 8000/- रिश्वत राशि जो फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त को स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अमर सिह मीणा से प्राप्त की जाकर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखी जाकर ट्रेप बॉक्स को ताला बन्द कर मालखाना में सुरक्षित रखा गया परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। दिनांक 22.07.2024/ 09.15 ए.एमः- पर परिवादी श्री अमर सिंह मीणा जरिये मोबाईल टेलीफोन वार्ता की गई तो उसने बताया कि आज आरोपी श्री केदार सिंह हैड़ कानि. द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने की पूर्ण सम्भवना है मुझे निश्चित सूचना मिलते ही मैं आपको अवगत करा दूंगा चूंकि परिवादी द्वारा आरोपी केदार सिंह हैड कानि. दारा रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के संबंध में अवगत कराया जाने पर तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाहान को जरिये टेलीफोन से अवगत कराया गया कि ट्रेप कार्यवाही के लिए उपस्थित होवे इस पर पिन्टू सिंह पटवारी व श्री जीतेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक उपस्थित आये व अवगत कराया कि दिनांक 21.07.2024 को स्वतंत्र गवाह हेतु आये श्री विरेन्द्र कुमार पटवारी को आवश्यक कार्य आ जाने के कारण उपस्थित नही हो पाया है उनके स्थान पर श्री जीतेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक को स्वतंत्र गवाह हेतु भिजवाया गया है जिस पर श्री जीतेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक से ट्रेप कार्यवाही स्वतंत्र गवाह बनने की लिखित सहमति प्राप्त की गई। इस पर कार्यालय उप पंजीयक धौलपुर से जीतेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक से परिचय पूछने पर अपना नाम पता जीतेन्द्र कुमार पुत्र श्री ननकीराम जाति कोली उम्र 29 साल निवासी भरावती पुलिस थाना कोलारी जिला धौलपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक धौलपुर मो.नं.-9887532980 बताया है जिससे गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने बाबत सहमति चाही तो उक्त स्वतन्त्र गवाह ने अपनी सहमति दिये जाने पर परिवादी अमरसिंह मीणा द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांक 16.07.2024 एवं अन्य कागजातों को

दिखाया जाकर पढवाया गया तथा परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर उक्त गवाह के हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित करवाया गया कार्यालय में बिठाया गया। समय 01.40 पर परिवारदी श्री अमर सिंह मीणा से जरिये टेलीफोन से सम्पर्क किया गया तो उसने बताया कि आरोपी श्री केदार सिंह हैड़ कानि. पुलिस थाना सरमथुरा में उपस्थित है और मेरी बहिन श्रीमति ममता व उसके परिजनो के खिलाफ दर्ज मुकदमे मे मदद करने एवं आरोपियों के नाम मुकदमें में से निकालने की एवज में 8000 रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगा मैं व सहपरिवादी सिरमोहर आपको पुलिस थाना सरमथुरा जिला धौलपुर के पास ही उपस्थित मिलेगे इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मालखाना प्रभारी श्रीकान्त हैड़ कानि. कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखे ट्रेप बॉक्स ताला बन्द शुदा जिसमें फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राषि 8000/-रूपये रखी हुई है एवं डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय माईक्रो एस.डी कार्ड एवं सरकारी लेपटॉप कम्प्यूटर, की-बोर्ड मय प्रिन्टर, माउस व ट्रेप बॉक्स के ताले की चाबी ली जाकर सरकारी वाहन में रखवाया जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान व समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन उप अधीक्षक पुलिस ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को एसीबी चौकी धौलपुर के मालखाना में ही सुरक्षित छोड़ा गया। श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 को बाद हिदायत कार्यालय में ही छोडा गया। समय-02.30 पीएम-पर श्रीकान्त हैड़ कानि. 72, श्री इन्द्रजीत हैड़ कानि. 71 श्री योगेश सिंह कानि. 88 व स्तवंत्र गवाह श्री पिन्टू सिंह पटवारी को मय प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट चालक के आगे आगे रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री ब्रह्मदेव सिंह कानि. 449, राजकुमार कनिष्ठ सहायक मय स्वतंत्र गवाह श्री जीतेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन मय श्री शंकर लाल मीणा कानि. चालक 500 सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर की-बोर्ड, माउस एवं ट्रेप बॉक्स मय चाबी जिसमें फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 8000/-रिश्वत राशि दिये जाने हेतु सुरक्षित रखी हुई के पुलिस थाना सरमथुरा जिला धौलपुर वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। परिवादी को जरिये टेलीफोन पाबन्द किया गया समय 03.30 पीएमः-पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप बॉक्स, फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राषि 8000/-रूपये व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय माईक्रो एस.डी कार्ड परिवादी एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के रवाना शुदा सरकारी वाहनों व प्राईवेट वाहन पुलिस थाना सरमथुरा के पास के पास पहुंचा जहां पर परिवादी श्री अमर सिंह मीणा व सहपरिवादी श्री सिरमोहर पूर्व से पाबन्दशुदा उपस्थित मिले एवं वाहनों को एकान्त में साईड में खड़ा करवाया जाकर परिवादी व सहपरिवादी से श्री जीतेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक धौलपुर से परिचय कराया गया व परिवादी व सहपरिवादी की जामा तलाशी लिवाई तो उनके पास मोबाईल फोन, परिचय-पत्र के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गई इसके बाद सरकारी वाहन में रखे टेप बॉक्स में से ताला खोला जाकर सुरक्षित रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 8000/- रूपये रिष्वत राषि को निकाल कर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पूर्व में बनाई गई फर्द पेषकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर से मिलान करवाया गया जो सही होना पाया जाने पर उक्त रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री पिन्टू सिंह पटवारी के द्वारा परिवादी की पहने हुई दाहिनी तरफ की साईड की जेब में रखवाया जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा अभिवादन के समय भी आरोपी से हाथ नही मिलाये हाथ जोडकर अभिवादन करे एवं आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिष्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। इसके बाद परिवादी व सहपरिवादी व समस्त ट्रेप व स्ततंत्र गवाहान के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर को वक्त रिष्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत की गई परिवादी व सहपरिवादी को आरोपी को रिश्वत राषि देने हेतु पुलिस थाना सरमथुरा जिला धौलपुर रवाना किया गया मन पुलिस उप अधीक्षक मय श्रीकान्त हैड़ कानि.72 श्री इन्द्रजीत सिंह हैड़ कानि. 71 श्री योगेष कानि.88 ब्रह्मदेव कानि. 449, राजकुमार कनिष्ठ सहायक व स्वतंत्र गवाहान के परिवादी की लोकेशन के आस-पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडे होकर परिवादी के नियत इषारे का इन्तजार करने लगे। समय 05.30 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस सुरेन्द्र सिंह को परिवादी श्री अमर सिंह मीणा के नियत इषारे की सूचना प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के पुलिस थाना सरमथुरा परिसर में रिश्वत राशि लिये जाने के स्थान पर पहुंचा जहां परिवादी को पूर्व में सुपुर्दशुदा वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी श्री अमरसिंह मीणा ने उसके पास में खडे एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यही केदार सिंह हैड कानि हैं जो अभी पुलिस थाना सरमथुरा परिसर में अपने निवास/कार्य करने के कक्ष के बहार मिले और इन्होने मुझसे रिश्वत के 8,000/-रूपये लेकर अपने दोनो हाथों से गिनकर पहनी हुई पेन्ट की दायी तरफ की साईड की जेब में रख लिये हैं। इस पर पास खडे व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम केदार सिंह पुत्र श्री देवीराम जाति जाट उम्र 43 साल निवासी गिरसे पुलिस थाना सदर डीग जिला डीग हाल हैड़ कानि. 698 पुलिस थाना सरमथुरा जिला

धौलपुर होना बताया व अपने हाथों को रगडने की कोशिश करने लगा इस पर मेरे निर्देशानुसार केदार सिंह हैड़ कानि. का दाया हाथ इन्द्रजीत हैड कानि. व बायां हाथ स्वतन्त्र गवाह श्री पिन्टू सिंह पटवारी ने कलाईयों के उपर से पकड लिये। तत्पश्चात केदार सिंह हैड़ कानि. से सहआरोपी श्री बीरवल के बारे में पूछा तो बताया कि बीरवल सिंह अभी अपने घर मिल सकता है इस पर श्री बीरवल सिंह को डिटेन करने हेतु श्री कान्त कटारा हैड़ कानि. व श्री योगेश सिंह कानि. 88 को मय सरकारी वाहन मय चालक शंकर सिंह कानि.चालक 500 के बीरवल सिंह के गॉव छिगांपुरा रवाना किया गया। तत्पश्चात आरोपी केदार सिंह हैड़ कानि. से परिवादी अमर सिंह मीणा से रिश्वत राषि लेने के सम्बन्ध में पूछताछ की तो केदार सिंह हैड़ कानि. ने बताया कि मैने कोई रिश्वत राशि प्राप्त नही की है मै केवल राजीनामा के बारे में कह रहा था इस पर परिवादी श्री अमर सिंह मीणा ने बताया कि हैड़ साहब झूठ बोल रहे है इन्होने मेरी बहिन व उसके परिजनो के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में मदद करने एवं नाम हटाने एवं केस को रफा दफा करने की एवज में मुझसे अपने सरकारी निवास पुलिस थाना सरमथुरा पर 8000/-रिश्वत राशि प्राप्त की है जो हैड़ साहब ने गिनकर अपने पहने हुये पेन्ट की दाहिनी जेब में रख लिये थे मैने मौका पाकर आपको नियत इषारा कर दिया था। आरोपी श्री केदार सिंह हैड़ कानि. से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैने उक्त रिश्वत राशि प्राप्त पेन्ट की दाहिनी जेब में रख ली थी व बाद मे तुरन्त ही मैने रिश्वत राशि पेन्ट की जेब से निकालकर मेरे निवास/कार्य करने के कक्ष में रखे हुये बक्से की नीचे रख दिये थे उक्त बक्से के नीचे से रिष्वत राषि गवाह श्री जीतेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक से निकलवाई जाकर गिनवाई तो भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 16 नोट कुल 8,000/- रूपये हैं। नोटों का विवरण निम्न प्रकार है- क्रमसंख्या नोटो का विवरण नोटो के नम्बर 1 एकनोट 500 रूपये का 6 DV 189942 2 एकनोट 500 रूपये का 9 QR 597205 3 एकनोट 500 रूपये का 8 MT 122403 4 एकनोट 500 रूपये का 1 UG 239880 5 एकनोट 500 रूपये का 7 GM 666479 6 एकनोट 500 रूपये का 2 CL 670563 7 एकनोट 500 रूपये का 7 FS 950317 8 एकनोट 500 रूपये का 1 UG 239877 9 एकनोट 500 रूपये का 1 AR 050794 10 एकनोट 500 रूपये का 5 CS 325455 11 एकनोट 500 रूपये का 5 CF 200969 12 एकनोट 500 रूपये का 4 KW 346604 13 एकनोट 500 रूपये का 1 KD 893743 14 एकनोट 500 रूपये का 5 MH 406867 15 एकनोट 500 रूपये का 7 MG 533236 16 एकनोट 500 रूपये का 0 PN 998774 उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेषकषी से स्वतन्त्र गवाहान से करवाने पर नम्बर हूबहू पाये गये। सभी नोटो को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से डिस्पोजल गिलास निकलवाकर हैड़ कानि0 के निवास में रखे हुये मटका में से बोतल में साफ पानी मंगवाकर डिस्पोजल गिलास को साफ पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर गिलास में साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर गवाह जीतेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक से हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर डिस्पोजल गिलास के घोल में श्री केदार सिंह हैड़ कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीषियों में भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क RH-1 व RH-1 अंकित कर शील्ड मोहर कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया। पुनः नया डिस्पोजल गिलास लिया जाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री केदार सिंह हैड़ कानि. के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में भरवाकर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीषीयों पर मार्क LH-1 व LH-1 अंकित कर सील्ड मोहर कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया। आरोपी केदार सिंह हैड़ कानि. द्वारा पहनी हुई पेन्ट जिसकी दायी साईड की जेब से रिश्वत राशि रखी गई थी अतः उक्त पेन्ट को उतारवाकर आरोपी केदार सिंह हैड़ कानि. को उसके कमरे मे से लोवर लिया जाकर पहनवाया गया। तत्पष्चात ट्रेप बॉक्स मे से डिस्पोजल गिलास लिया जाकर उसमें साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त पानी का रंग रंगहीन रहा उक्त पेन्ट की दायी साईड की जेब को उक्त घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की शीषियों में भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीषी पर मार्क P-1व P-2 अंकित कर सील्ड मोहर कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पेन्ट हल्का काला सफेद बारीक चैकदार है। पेन्ट को सुखवाकर दायी तरफ की साईड की जेब पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "P" अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया । रिश्वत राशि बरामदगी स्थान कमरे में बक्से के नीचे रखे स्थान पर एक गीला सफेद रूई का फोहा लिया जाकर उक्त स्थान से सफेद रूई के फोहा को रंगडकर ट्रेप बॉक्स में एक नया डिस्पोजल गिलास लिया जाकर उसमें साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त पानी का रंग रंगहीन रहा उक्त घोल में सफेद रूई के फोहा को धोया गया तो पानी का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की शीशीयों में भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क F-1 व F-2 अंकित कर सील्ड मोहर

कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। रूई के फोहा को सुखाया जाकर एक कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क R अंकित किया जिस पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में काम लिये गये समस्त डिस्पोजल गिलासों को मौके पर ही नष्ट किया गया। परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण तैयार करवाया जावेगा। श्रीकान्त हैड़ कानि. मय सरकारी वाहन व मय जाप्ता के छिगांपुरा रवाना शुदा वापस आया और बताया कि सहआरोपी श्री बीरबल सिंह घर पर मौजूद नही मिला परिजनों से पूछा तो कोई जानकारी नही होना बताया आरोपी केदार सिंह से भी बीरबल सिंह की जरिये टेलीफोन वार्ता कराई गई तो इसके द्वारा अपनी लोकेशन की कोई जानकारी नही दी गई आरोपी केदार सिंह पुत्र श्री देवीराम जाति जाट उम्र 43 साल निवासी गिरसे पुलिस थाना सदर डीग जिला डीग हाल हैड़ कानि. 698 पुलिस थाना सरमथुरा जिला धौलपुर व श्री बीरवल निवासी छिगांपुरा द्वारा परिवादी श्री अमर सिंह मीणा की बहिन ममता व उसके परिजनो के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में मदद करने व नाम निकालने एवं केस रफादफा करने की एवज मे वैद्य पारिश्रमिक के अलावा जायज काम करने के लिए रिश्वत राशि 10,000/-रूपये की मांग करना जिसका मांग सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 8000/-रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना व उक्त मांग सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 22.07.2024 को 8000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ( यथा संशोधित 2018) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार अपराध की श्रेणी में आना पाये जाने पर आरोपी केदार सिंह हैड़ कानि. को जरिये फर्द पृथक से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया व गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार उसकी पत्नी श्रीमति बवली को जरिये मोबाईल फोन पर दी गई परिवादी से संबंधित रिकॉर्ड/ पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि जरिये फर्द जप्त कर शामिल पत्रावली की गई आरोपी की नमूना आवाज की पहचान आरोपी के सहकर्मी श्री विशाल सिंह हैड़ कानि. से कराई जाकर फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। फर्द नक्शा मौका घटनास्थल तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया आरोपी के उपस्थिति बाबत रोजनामचा आम पुलिस थाना सरमथुरा का प्राप्त कर शामिल पत्रावली बाद सम्पन ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना सरमथुरा से रवाना होकर मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय ट्रेप बॉक्स व शील्ड शुदा आर्टिकल्स मय फर्दात/रिकॉर्ड मय गिरफ्तार शुदा आरोपी केदार सिह हैड कानि. के वापस धौलपुर आया शील्ड शुदा आर्टिकल्स व ट्रेप बॉक्स व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित मालखाना जमा कराया गया आरोपी को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर में बन्द हवालात कराया गया दिनांक 23.07.2024 को वक्त रिश्वत लेन-देन की वार्ता की फर्द ट्रासंक्रिप्ट तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई रिकॉर्ड वार्ता मूल मैमोरी कार्ड से तीन डीवीडी डब की जाकर दो मुज्लिम डीवीडी को सील मोहर किया जाकर मार्का B अंकित किया गया आई.ओ. डीवीडी को खुला रखा जाकर मार्का B अंकित किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। मूल मैमोरी कार्ड को न्यायालय में पेश किये जाने हेतु सील मोहर किया जाकर मार्का M-1अंकित किया गया। परिवादी द्वारा पेश लिखित प्रार्थना-पत्र फर्द ट्रासंक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन-देन वार्ता व जप्त रिकॉर्ड/पत्रावली एव सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री केदार सिह हैड़ कानि. पुलिस थाना सरमथुरा जिला धौलपुर एवं श्री बीरबल सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा परिवादी श्री अमर सिंह मीणा की बहिन श्रीमति ममता मीणा व उसके परिजनों के विरूद्ध पुलिस थाना सरमथुरा में दर्ज मुकदमा नं. 176/2024 धारा 147, 323, 341, 336, 427, 354, 452, 504, 506, आईपीसी मे मदद करने आरोपियों के नाम निकालने केस को रफादफा करने की एवज में 10,000 (दस हजार)/-रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना दौराने रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 8000/-रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हो जाना एवं उक्त रिश्वत मांग के अनुसरण में आरोपी केदार सिह हैड़ कानि. 698 द्वारा 8000/-रूपये रिश्वत राशि प्राप्त किया जाने पर रंगे हाथ पकडा गया। आरोपी श्री केदार सिंह हैड़ कानि. 698 व बीरबवल सिंह प्राईवेट व्यक्ति द्वारा रिश्वत राशि की मांग करना एवं उक्त मांग के अनुसरण में रिश्वत राशि प्राप्त किया जाना धारा 7,7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा सशोधित 2018) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत दण्डनीय अपराध घटित होना प्रथम दृष्ट्या पाया गया है अतः दोनों आरोपियों के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है। भवदीय (सुरेन्द्र सिंह ) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर। .........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र सिह, उप पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 7 7ए 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपीगण 1.श्री केदार सिह पुत्र देवी राम उम्र 43 निवासी गिरसे थाना सदर डीग जिला डीग हाल हैड कानि0 698 पुलिस थाना सरमथुरा जिला धौलपुर 2. श्री बीरवल निवासी छिगांपुरा पुलिस थाना सरमथुरा जिला धौलपुर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री अमित सिह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरतपुर, को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 82 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 779-82 दिनांक 23.07.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर । 2. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस द्वितीय भ्रष्टाचार

निरोधक ब्यूरो जयपुर। 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** AMIT SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

**No(सं.):** to take up the Investigation **(को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)**
**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/07/2024 11:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** Vishanaram
**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)
**No(सं.):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )**
**(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))**

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1981 | | | | |
| 2 | Male | 1984 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
**(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है I)**